

**निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक
कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द**

प्र०सं० 4/2017/रे०वाद/

निर्णय दिनांक :- 17.07.2019

अनवान

1. श्री रंगलाल पिता श्री हजारी जी जाति प्रजापत आयु 61 वर्ष निवासी रान तहसील देवगढ़
जिला राजसमन्द

—वादी

बनाम

1. श्री बंशीलाल पिता प्रताप जी जाति नाई आयु बालिग निवासी रान हाल कुन्दवा तहसील
देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. श्री डालु पिता श्री प्रताप जी जाति नाई आयु बालिग निवासी रान हाल कुन्दवा तहसील
देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. श्री मुलाराम पिता भूरा जी जाति नाई आयु बालिग निवासी रान हाल कुन्दवा तहसील देवगढ़
जिला राजसमन्द
4. श्री लच्छु पिता भूरी जी जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी रान हाल कुन्दवा तहसील देवगढ़
जिला राजसमन्द
5. श्री सुखा पिता भूरा जी जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी रान हाल कुन्दवा तहसील देवगढ़
जिला राजसमन्द
6. श्री काना पिता भूरा जी जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी रान हाल कुन्दवा तहसील देवगढ़
जिला राजसमन्द
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब देवगढ़

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित :- 01. श्री गोविन्द कंसारा वकील वादी

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित तहसीलदार देवगढ़ से बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन किया। बंटवाडा प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है। अतः बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है एवं वादी एवं प्रतिवादीगण 6 के संयुक्त खाते की भूमि का बंटवाडा निम्न प्रकार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में खाते भी पृथक - पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम रान पटवार हल्का नराणा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में स्थित आराजी :-

2/00
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

ग्राम रान

1. श्री रंगलाल पिता हजारी प्रजापत सा. देह खातेदार के हिस्से व खाते :-

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
-------------	------	-------	------

242	2.04	बीड 2 - 1.10 हकत 2 - 0.14	0.38
243	0.03	आ.चा.	1
244	1.01	हकत 1	1.05
245	4.14	बीड 2 - 2.09 मगरी - 2.05	0.61 0.13
246	1.04	बीड 2 - 0.14 हकत 2 - 0.10	0.17 0.44
योग - 5	9.06	-	3.39

2. डालु पिता प्रताप 1/2 नाई मुलाराम लच्छु सुखा काना पिता भूरा 1/2 गुर्जर सा. देह खातेदार के हिस्से व खाते :-

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
2	8.07	मगरी - 3.16 हकत 3 - 1.01 पडत 3 - 3.10	0.23 0.65 0.88
3	0.03	आ.चा.	1
4	2.01	कु 3 - 0.01 बीड 2 - 1.05 हकत 3 - 0.09	1.23 0.31 0.28
5	0.12	कु 3 - 0.04 बीड 2 - 0.08	0.70 0.10
6	3.10	बीड 2 - 1.11 कु 3 - 1.19	0.39 6.83
योग - 5	14.13	-	11.60

वादीगण वादग्रस्त कुलिया भूमि के लगान की 5 गुणा राशि के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश करने पर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी